<u>**इजराय वाद संख्या 35/2023**</u>

सीआईएस संख्या 35/2023

एचडीएफसी बैंक लिमिटेड बनाम् **अजय कुमार प्रसाद**

दिनांक 19.03.2026 :–

डिक्रीदार अनुपस्थित है उसकी तरफ से कोई पैरवी नहीं की गई है।

वाद पुकार पर न तो डिक्रीदार उपस्थित हुआ और न ही उसकी तरफ से उसके विद्वान अधिवक्ता ही उपस्थित हुए। अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट होता है कि डिक्रीदार प्रस्तुत वाद में वाद के ग्रहण होने के पश्चात् अर्थात दिनांक 29.04.2025 से ही लगातार अनुपस्थित है। साथ ही, न्यायालय द्वारा लगातार निर्देशित किए जाने एवम् चेतावनी दिए जाने के बावजूद भी उसके द्वारा आदेश दिनांक 28.03.2025 का अनुपालन नहीं किया जा रहा है, जिसके द्वारा उसे जजमेन्ट डेटर्स को नोटिस निर्गत करने के लिए आवश्यक आपेक्षिकांए दाखिल करने हेतु निर्देशित किया गया था और न हीं सुनवाई एवं वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु डिक्रीदार की तरफ से उसके विद्वान अधिवक्ता ही उपस्थित हो रहे हैं।

ऐसा प्रतीत होता है कि डिक्रीदार को अपने वाद में कोई अभिरूचि नहीं रह गई है। अतः इसे लम्बित रखने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। फलस्वरूप प्रस्तुत इजराय वाद को अद्म पैरवी में खारिज किया जाता है।

कार्यालय नियमानुकूल अभिलेख अभिलेखागार में जमा करें।

लेखापित

प्रधान जिला न्यायाधीश
बक्सर
दिनांक 19.03.2026